

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्व-निर्धारित करों पर सम्प्रती कर की सूचना।

Memo No. : 20/418/21/1122/124411  
Date : 21-11-2022  
प्रभावी : तृतीय दिनांक 21/11-2022

श्री/श्रीमती/सुश्री SUNITA DEVI W/O SUDARSHAN PRASAD,  
मोहल्ला BHELATAND DHANBAD DHANBAD  
DHANBAD , 826004  
8271283340

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 022100045340001000 बोर्ड सं 22 हुआ है, आपके सव निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रूप निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	136.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
<b>कुल राशि (प्रति तिमाही)</b>		<b>136.00</b>



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, [uda.barkhand.com.in](http://uda.barkhand.com.in) पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के आलेख में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जाएगा जो सम्प्रती कर का 50% होगा।
- हिदायत दी जाती है कि वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निर्माण को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्प्रती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूरि कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की छियातय दी जाएगी।
- किसी देय पूरि को निर्दिष्ट सम्प्रदायधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह को दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण पत्र की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण सव-घोषणा पत्र की स्थानीय जात तथा सम्प्रति निर्माण करा सकता है एक सव गलत पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्प्रति कर इन इमरतों/दानों को कोई कानूनी हैदियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों/दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये हाब्लिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह डिगिटल संरचनाओं को श्रेणी के अन्तर्गत माना जाएगा।

**NOTE :** This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

सुनीता देवी